भाग–II
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

राज्य प्रस्ताव सं0– ....

7.	परियोजना /स्कीम का स्थान :		वाराणसी–लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–731 के किमी0 112.00(सुलतानपुर/अमेठी जनपद सीमा) से किमी0 115.588 एवं किमी0 122.413 से किमी0 129.293 तथा किमी0 147.725 से किमी0 148.825(निकट संजय गॉधी पालिटेक्निक कालेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई किमी0 11.568 में बायी पटरी पर ग्रीन गैस लि0, अयोध्या द्वारा ओपन ट्रन्च/एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से भूमिगत 10″ व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
	(i)	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्तर प्रदेश
	(ii)	जिला	अमेठी
	(iii)	वन प्रभाग	अमेठी
	(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.34704 हे0
	(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
	(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
	(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ.आर.एल.एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मी0 में भी संलग्न किया जाय)	मौके पर प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि में कोई वृक्ष बाधक नहीं है।
	(viii)	भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	यह भू–भाग भू–क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
	(ix)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हों तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)	नहीं।
	(x)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
	(xi)	क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महात्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।		हाँ, प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही रहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।		नहीं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा		–

(एम0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

Scanned with CamScanner

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों रहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	लागू नहीं है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया जाए)	संलग्न है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7(xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	306300.00 हे0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2050.188 हे0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	85.505 हे0 (12 मामले)
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	285.08 हे0
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	– 258.44 हे0
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	26.64 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण कराया गया है।
13.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	यह प्रस्ताव ग्रीन गैस लिमिटेड, अयोध्या द्वारा वाराणसी–लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–731 के किमी0 112.00 (सुलतानपुर/अमेठी जनपद सीमा) से किमी0 115.588 एवं किमी0 122.413 से किमी0 129.293 तथा किमी0 147.725 से किमी0 148.825(निकट संजय गॉधी पालिटेक्निक कालेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई किमी0 11.568 में मार्ग के किनारे बायी पटरी पर ओपन ट्रन्च/एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से भूमिगत 10'' व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने सम्बन्धी कार्य संरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित है। उक्त कार्य आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत है। अतः उक्त प्रभावित संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु संस्तुति की जाती है।

(एम0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग, अमेठी

Scanned with CamScanner